[2020] 2 एस. सी. आर 1188

स्टार इंडिया (पी) लिमिटेड।

वी.

उत्प्रेरक और ए. एन. आर. की सोसायटी।

(2008 की सिविल अपील सं. 6597)

23 जनवरी, 2020

[मोहन एम. शांतनागौदर

और आर. सुभाष रेड्डी, जे. जे.]

कार्यक्रम 'केबीसी' और कार्यक्रम को एक सेलुलर मोबाइल सेवा प्रदाता-एयरटेल द्वारा प्रायोजित किया गया था-इस कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, एक प्रतियोगिता 'एचएसएचएस' प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें कार्यक्रम के दर्शकों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था और जो दर्शक भाग लेना चाहते थे, उन्हें सेलुलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा दी गई एस. एम. एस. सेवाओं के माध्यम से एक निर्दिष्ट संख्या पर सही उत्तर भेजना था-यह आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्ताओं ने दर्शकों के मन में गलत धारणा पैदा की थी कि 'एच. एस. एच. एस.' प्रतियोगिता में भाग लेना मुफ्त था, जबकि प्रतियोगिता के आयोजन की लागत के साथ-साथ पुरस्कार राशि की प्रतिपूर्ति एस. एम. एस. शुल्क की बढ़ी हुई दर से की गई थी और लाभ सेलुलर मोबाइल द्वारा साझा किया गया था।

टेलीविजन चैनल के साथ सेवा प्रदाता-इसलिए, वे यू/एस के तहत 'अनुचित व्यापार अभ्यास' कर रहे थे। 2 (1) (आर) अधिनियम, 1986 के (3) (ए) राष्ट्रीय आयोग ने माना कि 'एच. एस. एच. एस.' के लिए पुरस्कार राशि

उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए शुल्क या शुल्क लेने का अधिकार एस. एम. एस., टेली-कॉलिंग आदि के माध्यम से 'एच. एस. एच. एस.' प्रतियोगिता में भागीदारी की सुविधा प्रदान करने के लिए, और इस प्रकार, इसे निर्धारित करने में टेलीविजन चैनल की कोई भूमिका नहीं थी-इसके अलावा, सेलुलर मोबाइल सेवा प्रदाता

टेलीविजन चैनल को शुल्क के रूप में मासिक एकमुश्त राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, भले ही ऐसी राशि उसके ग्राहकों से प्राप्त की गई हो या नहीं-पक्षों के बीच राजस्व साझा करने या सेलुलर मोबाइल सेवा की आवश्यकता के लिए समझौते में कोई प्रावधान नहीं था

1188 स्टार इंडिया (पी) लिमिटेड। वी. उत्प्रेरक और ए. एन. आर. की सोसायटी। [मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

'एच. एस. एच. एस.' प्रतियोगिता के लिए टेलीविजन चैनल द्वारा भुगतान की गई पुरस्कार राशि के किसी भी हिस्से को वित्तपोषित करने के लिए प्रदाता इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि टेलीविजन चैनल पुरस्कार राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, चाहे वह कुछ भी हो।

सेलुलर मोबाइल सेवा प्रदाता द्वारा अर्जित लाभ-यह निष्कर्ष निकालने का कोई आधार नहीं है कि एच. एस. एच. एस. प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार राशि का भुगतान सीधे सेलुलर मोबाइल द्वारा अर्जित एस. एम. एस. राजस्व से किया गया था।

सेवा प्रदाता या उस पक्ष ने एस. एम. एस. दरों को बढ़ाने के लिए सांठगांठ की थी ताकि पुरस्कार राशि का वित्तपोषण किया जा सके और एस. एम. एस. राजस्व को साझा किया जा सके।

-

इस प्रकार, राष्ट्रीय आयोग का निष्कर्ष 'अनुचित व्यापार व्यवहार' के रूप में

एक तरफ रख दें।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने पकड़नाः 1. सेवाओं-सह-प्रायोजन के अवलोकन पर

समझौते से पता चलता है कि सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाता-एयरटेल को एच. एस. एच. एस. प्रतियोगिता में भाग लेने की सुविधा के लिए उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए शुल्क या शुल्क लेने का एकमात्र और अनन्य अधिकार था, एस. एम. एस., टेली-कॉलिंग आदि के माध्यम से, और इस प्रकार, टेलीविजन।

चैनल-इसे निर्धारित करने में स्टार इंडिया की कोई भूमिका नहीं थी। इसके अलावा, सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाता को मासिक भुगतान करना पड़ता था।

टेलीविजन चैनल को शुल्क के रूप में एकमुश्त राशि, चाहे वह राशि उसके ग्राहकों से प्राप्त की गई हो या नहीं। समझौते में राजस्व के लिए कोई प्रावधान नहीं है-पार्टियों के बीच बंटवारा, या सेलुलर मोबाइल सेवा प्रदाता को टेलीविजन चैनल द्वारा भुगतान की गई पुरस्कार राशि के किसी भी हिस्से को वित्तपोषित करने की आवश्यकता है।

एचएसएचएस प्रतियोगिता। [पैरा 11.1] [1198 जी-एच; 1199 ए-बी]

2. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि टेलीविजन चैनल इंडिया जिम्मेदार था

द्वारा अर्जित लाभ की परवाह किए बिना पुरस्कार राशि का भुगतान करना

सेलुलर मोबाइल सेवा प्रदाता। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रायोजन राशि का भुगतान सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाता द्वारा किया गया है।

यह राजस्व के विभिन्न स्रोतों से आएगा, जिसमें एच. एस. एच. एस. प्रतियोगिता के लिए शुल्क दरों से अर्जित धन शामिल है। इसी तरह, टेलीविजन चैनल के पास राजस्व के कई स्रोत हो सकते हैं जिनसे पुरस्कार राशि का भुगतान किया जा सकता था। यह अपीलार्थियों के सामान्य व्यावसायिक लेन-देन का एक हिस्सा है, और शिकायतकर्ता बढ़ी हुई एस. एम. एस. शुल्क दरों और पुरस्कार राशि के बीच कोई सीधा संबंध स्थापित करने में विफल रहा है ताकि यह दिखाया जा सके कि पुरस्कार राशि प्रतिभागियों से ली गई बढ़ी हुई एस. एम. एस. दरों की आड़ में धोखे से वसूल की गई थी।

अलावा, [2020] से 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राष्ट्रीय आयोग रुपये की कीमत के विभाजन की कोई भी जांच करने में विफल रहा। 2.40 एच. एस. एच. एस. प्रतियोगिता में भाग लेने के उद्देश्य से निर्धारित एस. एम. एस. के अनुसार, यह न्यायालय

यह देखते हुए कि राष्ट्रीय आयोग का निष्कर्ष है कि सेलुलर मोबाइल सेवा प्रदाता द्वारा दी जाने वाली एस. एम. एस. सेवा

एच. एस. एच. एस. प्रतियोगिता एक मूल्य वर्धित सेवा का गठन नहीं करती है जिसे अलग रखा जा सकता है। वास्तव में सेवा-सह-प्रायोजन समझौता

यह बताता है कि सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाता अपनी लागत पर एच. एस. एच. एस. प्रतियोगिता के लिए आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर स्थापित करने के लिए उत्तरदायी था, जिससे पता चलता है कि सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किए गए एस. एम. एस. के माध्यम से एच. एस. एच. एस. प्रतियोगिता में भागीदारी से संबंधित सेवाओं ने अपनी सामान्य एस. एम. एस. सेवा से अलग एक मूल्य वर्धित सेवाओं का गठन किया। यह मान लेना उचित है कि एच. एस. एच. एस. प्रतियोगिता में भाग लेने वाले ग्राहकों द्वारा भेजे गए एस. एम. एस. की बढ़ी हुई लागत के माध्यम से सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाता द्वारा कम से कम आंशिक रूप से इस तरह की लागत की वसूली की गई होगी। टी. आर. ए. आई. द्वारा जारी 'प्रीमियम दर सेवाओं' दिनांक 3.5.2005 पर निर्देश, जिसे टी. आर. ए. आई. द्वारा संदर्भित किया गया था

अपीलकर्ताओं का यह भी कहना है कि एस. एम. एस. के माध्यम से टेलीवोटिंग और प्रश्नोत्तरी आदि में भाग लेना एक मूल्य वर्धित सेवा है, और इनमें से अधिकांश मामलों में, इन सेवाओं के लिए शुल्क सामान्य शुल्क दर से अधिक हैं। [पैरा 11.2 और 12] [1199 ईसा पूर्व-डी; 1199 ईसा पूर्व-एच]

3. इसलिए, शिकायतकर्ता यह साबित करने के लिए बोझ उठाने में स्पष्ट रूप से विफल रहा है कि पुरस्कार राशि का भुगतान एस. एम. एस. से किया गया था।

राजस्व और इस पहलू पर इसके कथन शुद्ध अनुमान और अनुमान पर आधारित प्रतीत होते हैं। इस न्यायालय का विचार है कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई आधार नहीं है कि एच. एस. एच. एस. प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार राशि का भुगतान सीधे सेल्युलर द्वारा अर्जित एस. एम. एस. राजस्व से किया गया था।

मोबाइल सेवा प्रदाता, या उस पक्ष ने एस. एम. एस. दरों को बढ़ाने के लिए मिलीभगत की थी ताकि पुरस्कार राशि का वित्तपोषण किया जा सके और एस. एम. एस. राजस्व को साझा किया जा सके, और इस आधार पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रदान की गई "अनुचित व्यापार प्रथा" का निष्कर्ष अलग किया जा सकता है। [पैरा 14] [1201 डी-एफ]

एच. एम. एम. लिमिटेड बनाम महानिदेशक, एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग (1998) 6 एस. सी. सी. 485; जनरल मोटर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम। अशोक रामनिक लाल तोलत (2015) 1 एस. सी. सी. 429 [2014] 11 एस. सी. आर. 16-संदर्भित।

स्टार इंडिया (पी) लिमिटेड। वी. उत्प्रेरक और ए. एन. आर. की सोसायटी। [मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

मामला कानून संदर्भ

(1998) 6 एससीसी 485

संदर्भित किया गया है

पैरा 4

[2014] 11 एससीआर 16

संदर्भित किया गया है

पैरा 15

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 6597

2008 से।

राष्ट्रीय संविधान के 11.09.2008 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2007 की शिकायत संख्या 83 में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली।

के साथ

2008 की सिविल अपील सं. 6645

गौरव पचनंदा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री रूबी सिंह आहूजा, सुश्री स्विकृति

सिंघानिया, सुश्री कृतिका सचदेवा, उत्कर्ष मारिया, आशुतोष पी. शुक्ला, सुश्री ज्योतिका जैन, सुश्री इशना कुमार, सुश्री अवनि शर्मा, श्रीमती माणिक करंजावाला, आदित्य नारायण, सुश्री अनुश्री नारायण, अर्णव नारायण, सुश्री मिश्रा राज शेखर, सुश्री अमांडा चक्रवर्ती, सुश्री सुभाश्री महापात्रा, सिद्धार्थ राज अग्रवाल, दिनेश चंदर त्रेहन, विनीत कुमार, सुश्री आस्था त्यागी, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सुश्री मधुमिता भट्टाचार्जी, सुश्री श्रीजा चौधरी, अधिवक्ता। के लिए

उत्तरदाताओं।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

मोहन एम. शांतनागौदर, जे.

1. ये अपीलें 11.9.2008 के निर्णय से उत्पन्न होती हैं।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ("राष्ट्रीय आयोग") ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ इन दोनों अपीलों में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर उपभोक्ता शिकायत को अनुमति दी।

2. इन अपीलों को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैंः 2.1 स्टार इंडिया (पी) लिमिटेड, सी. ए. सं. 6597/2008 में अपीलार्थी

(इसके बाद "स्टार इंडिया") 'कौन' कार्यक्रम का प्रसारण करता था।

22.1.2007 और 19.4.2007 के बीच बनेगा करोड़पति '("KBC")।

इस कार्यक्रम को भारती एयरटेल लिमिटेड ने प्रायोजित किया था। सी. ए. सं. 6645/2008 (इसके बाद "एयरटेल") में अपीलार्थी,

अन्य। इस कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, एक प्रतियोगिता का नाम था

' हर सीट हॉट सीट (एच. एस. एच. एस. प्रतियोगिता) आयोजित की गई थी, जिसमें [2020] 2 एस. सी. आर.

केबीसी के दर्शकों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। प्रत्येक एपिसोड के दौरान स्क्रीन पर चार संभावित उत्तरों के साथ एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न प्रदर्शित किया गया था, और जो दर्शक भाग लेना चाहते थे, उन्हें एयरटेल, एम. टी. एन. एल. और बी. एस. एन. एल. द्वारा दी जाने वाली एस. एम. एस. सेवाओं के माध्यम से एक निर्दिष्ट संख्या पर सही उत्तर भेजना था।

2.2 प्रत्येक प्रकरण के लिए विजेता को यादृच्छिक रूप से उन व्यक्तियों में से चुना गया था जिन्होंने सही उत्तर भेजे थे, और रुपये की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया था। 2 एक लाख। एच. एस. एच. एस. प्रतियोगिता के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं था। हालाँकि, यह विवादित नहीं है कि एच. एस. एच. एस. प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को रु। 2.40 एयरटेल को प्रति एस. एम. एस. संदेश, जो एस. एम. एस. के लिए सामान्य दर से अधिक था। इसलिए,

प्रतिवादी संख्या 1, जो एक उपभोक्ता समाज है (इसके बाद "शिकायतकर्ता") ने राष्ट्रीय आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराई।

स्टार इंडिया और एयरटेल (लेकिन बी. एस. एन. एल. और एम. टी. एन. एल. के खिलाफ नहीं) के खिलाफ यह तर्क देते हुए कि वे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 ("1986 अधिनियम") की धारा 2 (1) (आर) (3) (ए) के अर्थ के भीतर एक "अनुचित व्यापार अभ्यास" कर रहे थे। यह आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्ताओं ने दर्शकों के मन में गलत धारणा पैदा की थी कि एच. एस. एच. एस. प्रतियोगिता में भागीदारी निःशुल्क थी, जबकि प्रतियोगिता के आयोजन की लागत के साथ-साथ पुरस्कार राशि की प्रतिपूर्ति एस. एम. एस. शुल्क की बढ़ी हुई दर और लाभ से की जा रही थी।

इन शुल्कों में से एयरटेल द्वारा स्टार इंडिया के साथ साझा किया जा रहा था।

2.3 इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया था कि एक अनुचित व्यापार प्रथा भी की गई थी क्योंकि प्रतियोगिता अनिवार्य रूप से एक लॉटरी थी क्योंकि प्रश्न सरल थे, और विजेताओं को अंत में यादृच्छिक चयन द्वारा चुना गया था। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य केबीसी कार्यक्रम के दर्शकों और टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स (टीआरपी) को बढ़ाकर अपीलार्थियों के व्यावसायिक हितों को बढ़ावा देना था, और इस प्रकार उच्च विज्ञापन शुल्क का आदेश देना था, और साथ ही एस. एम. एस. संदेशों से अर्जित राजस्व को भी बढ़ाना था। इसलिए अपीलार्थी लॉटरी जैसी प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए दोषी थे।

2.4 यह ध्यान देने योग्य है कि शिकायतकर्ता केवल स्वैच्छिक है। उपभोक्ता संगठन जिसने उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन को आगे बढ़ाने के अपने उद्देश्य के हिस्से के रूप में यह शिकायत दर्ज की है। यह उनका मामला नहीं है कि उन्होंने एच. एस. एच. एस. प्रतियोगिता स्टार इंडिया (पी) लिमिटेड में भाग लिया है।

वी. उत्प्रेरक और ए. एन. आर. की सोसायटी। [मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

और उसके कारण कोई नुकसान हुआ। यह ध्यान रखना और भी प्रासंगिक है कि शिकायतकर्ता के दावे पूरी तरह से एक सर्वेक्षण पर आधारित हैं जो उसने किया था, जिसमें अधिकांश प्रतिभागी शामिल थे।

जाहिरा तौर पर कहा गया कि वे इस धारणा में थे कि एच. एस. एच. एस. प्रतियोगिता में भागीदारी मुफ्त थी और एस. एम. एस. शुल्क केवल सेवा प्रदाता, यानी एयरटेल द्वारा बनाए रखा गया था और अधिकांश दर्शकों ने महसूस किया कि प्रतियोगिता के. बी. सी. कार्यक्रम की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए की गई थी। इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों की पुष्टि स्पष्ट रूप से हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्र की रिपोर्ट द्वारा की गई थी। इस समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार, एयरटेल को 58 मिलियन एस. एम. एस. संदेश प्राप्त हुए और राजस्व अर्जित हुआ।

एस. एम. एस. से स्टार इंडिया और एयरटेल द्वारा साझा किया गया था। 3. राष्ट्रीय आयोग ने विवादित फैसले में कहा कि

हालाँकि अपीलकर्ताओं ने स्वामित्व संबंधी जानकारी की गोपनीयता के आधार पर एच. एस. एच. एस. प्रतियोगिता से अर्जित राजस्व का खुलासा नहीं किया था, लेकिन यह स्पष्ट था कि उन्होंने यह धारणा बनाई थी कि पुरस्कार राशि निःशुल्क दी जा रही है, भले ही उन्होंने इस बात पर विवाद नहीं किया था कि एच. एस. एच. एस. प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार राशि का भुगतान एस. एम. एस. शुल्क के माध्यम से एकत्र किए गए धन से किया गया था। आयोग ने समाचार पत्र के लेख दिनांक 15.7.2007 (ऊपर) में बताए गए आंकड़ों पर भरोसा किया और पाया कि चूंकिअपीलकर्ताओं ने इस बात से इनकार नहीं किया था कि उन्हें 58 मिलियन एस. एम. एस. प्राप्त हुए थे, उन्होंने रुपये एकत्र किए होंगे। 13.92 इस तरह के संदेशों के लिए एच. एस. एच. एस. प्रतियोगिता के प्रतिभागियों से कुल रु. 1.04 पुरस्कार राशि के रूप में करोड़ों रुपये दिए गए। इस प्रकार, अपीलार्थियों की सकल आय प्रस्तावित पुरस्कारों की लागत के अनुपात में नहीं है।

3.1 आयोग ने आगे पाया कि कोई भी दर्शक ऑन-स्क्रीन विज्ञापनों से यह नहीं समझ सका कि प्रतियोगिता की लागत का भुगतान एस. एम. एस. शुल्क के माध्यम से किया जा रहा था, और अपीलकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से दर्शकों को इसके बारे में सूचित नहीं किया था। इसने अपीलार्थियों के रुख के बीच एक विरोधाभास पाया कि क्या एच. एस. एच. एस. प्रतियोगिता को 'मुक्त' के रूप में विज्ञापित किया गया था या नहीं। यह भी देखा गया कि अपीलकर्ताओं ने यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं लाया था कि एच. एस. एच. एस. प्रतियोगिता के लिए एस. एम. एस. संदेशों का प्रसारण एक मूल्य वर्धित सेवा थी जिसमें एस. एम. एस. की अधिक लागत उचित थी।

और इसलिए इसे एक मूल्य वर्धित सेवा के रूप में नहीं माना जा सकता है। राष्ट्रीय आयोग द्वारा यह अनुमान लगाया गया था कि स्टार इंडिया और एयरटेल के बीच विशेष व्यावसायिक संबंध शामिल थे।

एक अज्ञात राजस्व साझाकरण समझौता।

20] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3.2 इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि चूंकि एच. एस. एच. एस. प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार राशि पूरी तरह से या आंशिक रूप से बढ़े हुए एस. एम. एस. शुल्क से अर्जित राजस्व द्वारा कवर की गई थी, इसलिए अपीलकर्ताओं ने एक अनुचित कार्य किया था।

1986 अधिनियम की धारा 2 (1) (आर) (3) (ए) के तहत व्यापार अभ्यास। इस निष्कर्ष के आलोक में, राष्ट्रीय आयोग ने इसे अनावश्यक पाया

धारा 2 (1) (आर) (3) (बी) के तहत अनुचित व्यापार व्यवहार करने के संबंध में शिकायतकर्ता के तर्क से निपटने के लिए।

3.3 राष्ट्रीय आयोग ने यह भी माना कि शिकायत

यह 1986 के अधिनियम के तहत बनाए रखने योग्य था और इसे भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के तहत दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण ("टीडीएसएटी") के समक्ष प्राथमिकता देने की आवश्यकता नहीं थी।

भारत अधिनियम, 1997 ("ट्राई अधिनियम")। इसके अलावा, यह माना गया कि शिकायत पक्षकारों के गैर-भागीदार के लिए खराब नहीं थी क्योंकि वहाँ था

बी. एस. एन. एल. और एम. टी. एन. एल. के पास भी ऐसा कुछ नहीं था जो संकेत दे सके कि

एच. एस. एच. एस. के लिए एस. एम. एस. शुल्क से बड़ी राशि की वसूली की गई

प्रतियोगिता और यह कि उनके द्वारा इस प्रकार वसूल की गई राशि का उपयोग पुरस्कार राशि की लागत को साझा करने के लिए किया गया था।

3.4 इसलिए, राष्ट्रीय आयोग द्वारा शिकायत की अनुमति दी गई। चूँकि शिकायतकर्ता केवल एक उपभोक्ता है

संगठन, राष्ट्रीय आयोग ने देखा कि वहाँ थे

क्षतिपूर्ति देने का कोई आधार नहीं है। हालांकि, यह सम्मानित किया गया

रुपये का दंडात्मक हर्जाना। 1 प्रावधान से धारा के तहत करोड़ रुपये

14 (1) (घ) 1986 अधिनियम, जिसके लिए दोनों अपीलार्थियों को संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी ठहराया गया था। राष्ट्रीय आयोग ने भी निर्देश दिया

उन्हें रुपये की मुकदमेबाजी लागत का भुगतान करना है। 50,000 शिकायतकर्ता को। इसलिए ये अपीलें हमारे सामने हैं।

4. स्टार इंडिया के वरिष्ठ वकील, श्री गौरव पचनंदा ने कहा कि 'अनुचित व्यापार व्यवहार' का पूरा निष्कर्ष निष्कर्षों और अटकलों पर आधारित था, और एक समाचार पत्र की रिपोर्ट पर निर्भर था।

इसकी सामग्री की पुष्टि, जो अस्वीकार्य थी। उन्होंने राष्ट्रीय आयोग के इस निष्कर्ष पर आपत्ति जताई कि अपीलार्थी ने स्वीकार किया था कि पुरस्कार राशि का भुगतान बढ़े हुए राजस्व से किया गया था।

एस. एम. एस. दरें। इस बात पर जोर दिया गया कि राष्ट्रीय आयोग ने पुरस्कार राशि के स्रोत की जांच करने से इनकार कर दिया था। इस बात पर भी जोर दिया गया कि एयरटेल ने बढ़ी हुई एस. एम. एस. दरों से अर्जित राजस्व को स्टार इंडिया के साथ बिल्कुल भी साझा नहीं किया था। उनके बीच एकमात्र मौद्रिक प्रवाह एयरटेल द्वारा उनके बीच सेवा-सह-प्रायोजन समझौते के तहत भुगतान किया जाने वाला एक निश्चित आवधिक एकमुश्त था, जिसका स्टार इंडिया (पी) लिमिटेड को प्राप्त राजस्व से कोई संबंध नहीं था।

वी. उत्प्रेरक और ए. एन. आर. की सोसायटी। [मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

1986 के अधिनियम की धारा 2 (1) (आर) (3) (ए) के तहत समग्र रूप से लेनदेन में केवल लेनदेन के लिए भुगतान की गई कीमत से प्रत्यक्ष वसूली का अर्थ था, और विज्ञापनों या प्रायोजन से नहीं, एच. एम. एम. लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए। महानिदेशक, एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग, (1998) 6 एस. सी. सी. 485।

4.1 यह आगे प्रस्तुत किया गया कि एयरटेल एच. एस. एच. एस. प्रतियोगिता के अनुसरण में भेजे गए एस. एम. एस. के लिए उच्च दर लेने का हकदार था, क्योंकि कई विकल्पों को पंजीकृत करने के लिए एस. एम. एस. का प्रसारण किया जाता था।

च्वाइस क्वेश्चन गेम के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती थी, जिसका उपयोग एक मूल्य वर्धित सेवा के रूप में किया जाता था और यह कि स्टार इंडिया ने संबंधित ट्राई नियमों का पालन किया था, जिसमें कहा गया था कि इस तरह के बढ़े हुए शुल्क को टेलीविजन स्क्रीन के साथ-साथ केबीसी कार्यक्रम की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इसलिए, हालांकि प्रतिभागियों ने बोर किया

एस. एम. एस. संदेश भेजने की लागत, उन्हें इसके बारे में विधिवत सूचित किया गया था, जबकि प्रतियोगिता में भाग लेना निःशुल्क रहा। ऐसी परिस्थितियों में, राष्ट्रीय आयोग लागत के विभाजन की जांच किए बिना भी पुरस्कार राशि की वसूली का श्रेय एस. एम. एस. की बढ़ी हुई शुल्क दर को नहीं दे सकता था।

मूल्यवर्धन और प्रशुल्क में लाभ।

4.2 विद्वान वकील ने हर्जाने के पुरस्कार को भी चुनौती दी,

प्रतिभागियों को नुकसान या कानूनी चोट के प्रमाण की कमी के लिए

प्रतियोगिता, जो उन्होंने प्रस्तुत की थी, 1986 के अधिनियम की धारा 14 (1) (डी) के अनुसार आवश्यक थी। अंत में, उन्होंने तर्क दिया कि शिकायत में इसके लिए एक विशिष्ट प्रार्थना के बिना "दंडात्मक हर्जाना" नहीं दिया जा सकता था।

5. एयरटेल के विद्वान वकील, श्री आदित्य नारायण ने आग्रह किया कि जहां तक अनुचित व्यापार प्रथा के कमीशन का संबंध है,

राष्ट्रीय आयोग द्वारा दिया गया निष्कर्ष केवल एक गलत धारणा के निर्माण के बारे में था कि प्रतियोगिता स्वतंत्र रूप से आयोजित की गई थी आरोप, जो 1986 के अधिनियम की धारा 2 (1) (आर) (3) (ए) के दूसरे भाग के तहत आता है और जो वर्तमान मामले में आकर्षित नहीं किया गया था।

उन्होंने हमें प्रीमियम दर सेवाओं के विज्ञापन के संबंध में ट्राई के निर्देश के माध्यम से, उसी के अनुपालन का अनुरोध किया। अंत में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि उपभोक्ता मंच के अधिकार क्षेत्र को ट्राई अधिनियम की धारा 15 के साथ पठित धारा 14 (ए) (iii) द्वारा समाप्त कर दिया गया था, जो प्रदान करता है कि कोई भी [2020] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और "उपभोक्ताओं के एक समूह" के बीच विवाद को टीडीएसएटी को भेजा जाना चाहिए, और यह कि शिकायतकर्ता संगठन यह अनिवार्य रूप से उपभोक्ताओं के एक समूह के अलावा और कुछ नहीं था क्योंकि यह बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए था।

6. शिकायतकर्ता की विद्वान वकील सुश्री मधुमिता

दूसरी ओर, भट्टाचार्जी ने राष्ट्रीय आयोग के निर्णय के पक्ष में तर्क देते हुए कहा कि अपीलकर्ताओं ने

उपभोक्ताओं के लिए गलत धारणा है कि एच. एस. एच. एस. प्रतियोगिता पुरस्कार राशि का भुगतान एस. एम. एस. शुल्क दरों में वृद्धि से उत्पन्न राजस्व से नहीं किया गया था। उसने यह भी कहा कि शिकायत में दंडात्मक के रूप में एक प्रार्थना थी

अधिनियम के तहत व्यक्तिगत शिकायत, और उपभोक्ताओं के एक समूह की ओर से कार्रवाई नहीं की, इस प्रकार ट्राई अधिनियम की धारा 14 (ए) (iii) के परंतुक (बी) के तहत व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध छूट को आकर्षित करती है। 7. हमने सभी पक्षों को सुना है और अभिलेख पर सामग्री पर उचित विचार किया है।

8. यह स्पष्ट है कि महत्वपूर्ण प्रश्न में निर्धारित किया जाना है

तत्काल मामला यह है कि क्या 1986 के अधिनियम की धारा 2 (1) (आर) (3) के संदर्भ में एच. एस. एच. एस. प्रतियोगिता के संचालन में अपीलकर्ताओं द्वारा एक अनुचित व्यापार अभ्यास किया गया है। हम इस मोड़ पर ही इस बात पर जोर देते हैं कि हालाँकि शिकायतकर्ता ने भी धारा के उल्लंघन का अनुरोध किया था

2 (1) (आर) 1986 अधिनियम के (3) (बी) में उनकी शिकायत में कोई स्पष्ट नहीं था

राष्ट्रीय आयोग द्वारा इस मुद्दे पर दिया गया निष्कर्ष, और

बाद में, इस संबंध में हमारे सामने कोई विवाद नहीं हुआ। इस प्रकार, हमारे सामने सीमित प्रश्न यह है कि क्या एक अनुचित व्यापार प्रथा केवल धारा के खंड (ए) के अर्थ के भीतर की गई है।

2 (1) (आर) (3)। धारा 2 (1) (आर) (3) के तहत "अनुचित व्यापार व्यवहार" की परिभाषा के प्रासंगिक हिस्से का उल्लेख करके शुरू करना उपयोगी होगाः

" (आर) "अनुचित व्यापार अभ्यास" का अर्थ है एक व्यापार अभ्यास जो किसी भी वस्तु की बिक्री, उपयोग या आपूर्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से या किसी भी सेवा के प्रावधान के लिए, निम्नलिखित में से किसी भी प्रथा सहित किसी भी अनुचित तरीके या अनुचित या भ्रामक अभ्यास को अपनाता है। अर्थात्;

.....

ए. आर. इंडिया (पी) लिमिटेड। वी. उत्प्रेरक और ए. एन. आर. की सोसायटी। [मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

(3) परमिट

(क) उपहारों, पुरस्कारों या अन्य वस्तुओं को प्रस्तुत किए जाने के रूप में प्रदान नहीं करने के इरादे से या ऐसी धारणा पैदा करना कि

कुछ मुफ्त में दिया या पेश किया जा रहा है जब यह पूरी तरह से या आंशिक रूप से लेनदेन में ली गई राशि द्वारा कवर किया जाता है।

8.1 स्पष्ट रूप से, खंड जिस शरारत को संबोधित करना चाहता है, वह दो रूपों में हो सकती हैः सबसे पहले, उपहार, पुरस्कार या अन्य वस्तुओं की पेशकश इस इरादे से कि उन्हें प्रस्तुत किए गए रूप में प्रदान नहीं किया जाए, और दूसरा, इस धारणा का निर्माण कि कुछ (यानी एक उपहार, पुरस्कार या अन्य वस्तु)

अन्य वस्तु) निः शुल्क दी जा रही है या पेश की जा रही है, इसके बावजूद कि वस्तु की लागत वास्तव में पूरी तरह से या आंशिक रूप से संबंधित लेनदेन में ली गई राशि से पूरी तरह से या आंशिक रूप से कवर की जा रही है। उदाहरण के लिए, यह ऐसा होगा जहां किसी वस्तु या सेवा का विक्रेता धोखे से बेची जा रही वस्तु या सेवा की कीमत बढ़ाता है, और किसी वस्तु या सेवा के साथ 'मुफ्त' में दिए गए पुरस्कार या उपहार की लागत को कवर करता है।

ऐसी बढ़ी हुई कीमत के माध्यम से सेवा।

8.2 तत्काल मामले में, अनुचित व्यापार व्यवहार के आयोग के संबंध में विवाद खंड के दूसरे भाग से संबंधित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अपीलकर्ता राष्ट्रीय आयोग के इस निष्कर्ष पर सवाल उठा रहे हैं कि पुरस्कार राशि का भुगतान किया गया है। एच. एस. एच. एस. प्रतियोगिता वास्तव में कम से कम आंशिक रूप से प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ली गई बढ़ी हुई एस. एम. एस. शुल्क दर द्वारा कवर की गई थी।

और यह कि अपीलकर्ताओं ने एक गलत धारणा बनाई थी

इसके विपरीत, अर्थात, एच. एस. एच. एस. प्रतियोगिता में भागीदारी निःशुल्क थी। इस प्रकार, पक्षों के बीच विवाद की प्राथमिक हड्डी धन का स्रोत है जिसमें से पुरस्कार राशि का भुगतान किया गया है।

स्टार इंडिया द्वारा भुगतान किया गया।

9. शुरुआत में, राष्ट्रीय आयोग के समक्ष याचिकाकर्ताओं की लिखित प्रस्तुतियों को देखने के बाद, हम यह कहने के लिए मजबूर हैं कि राष्ट्रीय आयोग के पास यह मानने का कोई आधार नहीं था कि याचिकाकर्ताओं ने स्वीकार किया था कि एच. एस. एच. एस. प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार राशि अनुसरण ई प्रतियोगिता में भेजे गए एस. एम. एस. से एकत्र किए गए राजस्व से निकाली गई थी। यह सच है कि अपीलकर्ताओं ने विशेष रूप से इस बात से इनकार नहीं किया था कि बढ़ी हुई एस. एम. एस. शुल्क में से पुरस्कार राशि का भुगतान किया गया था। हालाँकि, उन्होंने अपनी प्रस्तुतियों में स्पष्ट किया था कि एयरटेल केवल कार्यक्रम का एन. एस. आर./विज्ञापनदाता था, और वाणिज्यिक व्यवस्था [2020] 2 एस. सी. आर.

पक्षों के बीच यह था कि एयरटेल प्रायोजन शुल्क का भुगतान करेगी,

जबकि एयरटेल द्वारा अर्जित राजस्व की परवाह किए बिना स्टार इंडिया अपनी जेब से पुरस्कार राशि का भुगतान करने के लिए स्वतंत्र रूप से उत्तरदायी होगा।

10. महत्वपूर्ण रूप से, हम आगे पाते हैं कि उपरोक्त तथ्यों के अलावा, रिकॉर्ड पर कोई अन्य ठोस सामग्री नहीं है जिस पर राष्ट्रीय

आयोग 'अनुचित' निष्कर्ष को प्रस्तुत करने के लिए निर्भरता रख सकता था 1986 अधिनियम की धारा 2 (1) (आर) (3) (ए) के तहत 'व्यापार अभ्यास'। राष्ट्रीय आयोग ने 15.7.2007 की समाचार पत्र की रिपोर्ट पर भरोसा करने की मांग की थी।

एच. एस. एच. एस. प्रतियोगिता से अपीलार्थियों द्वारा अर्जित राजस्व और लाभ की राशि के बारे में हिंदुस्तान टाइम्स (ऊपर) में प्रकाशित। हमारा मानना है कि इस तरह की निर्भरता अनुचित थी, क्योंकि इसमें प्राप्त एस. एम. एस. की संख्या और अर्जित राजस्व को लागत, सेवा से मूल्यवर्धन और लाभ में विभाजित करने के संबंध में आरोपों की कोई पुष्टि नहीं थी। इसके अलावा, सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसके आधार पर ये आरोप लगाए गए थे

राष्ट्रीय आयोग या हमारे सामने पेश भी नहीं किया गया।

11. यह ध्यान रखना और भी प्रासंगिक है कि अपीलार्थियों के बीच एक सेवा-सह-प्रायोजन समझौता मौजूद है, जिसमें शामिल हैं -

उनके बीच वाणिज्यिक व्यवस्था का विशिष्ट विवरण। उन्होंने इसे राष्ट्रीय आयोग के समक्ष पेश नहीं किया, यह दावा करते हुए कि उक्त समझौते में एक गोपनीयता खंड है, और आवश्यकता पड़ने पर ही कानून के अनुसार पेश किया जा सकता है। अपीलार्थियों का मामला यह है कि यदि राष्ट्रीय आयोग ने इस संबंध में कोई विशिष्ट निर्देश दिया होता तो वे समझौते को प्रस्तुत करने की पेशकश करते। हालाँकि, राष्ट्रीय आयोग के समक्ष कार्यवाही के दौरान किसी भी समय ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया था। यहाँ तक कि शिकायतकर्ता ने भी पूरे मामले में ऐसा नहीं किया कार्यवाहियों के दौरान, अपीलकर्ताओं को प्रस्तुत करने के लिए निर्देश की मांग करें

सेवा-सह-प्रायोजन समझौता। जो भी हो, यह स्थापित करने के लिए कि क्या राष्ट्रीय आयोग में कोई सार था

यह निष्कर्ष निकालते हुए कि पुरस्कार राशि का भुगतान एच. एस. एच. एस. प्रतियोगिता के दौरान एयरटेल की एस. एम. एस. सेवाओं से अर्जित राजस्व से किया गया था, हमने खुद समझौते की जांच करना उचित समझा।

या सुविधा प्रदान करने के लिए इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए शुल्क एस. एम. एस., टेली-कॉलिंग आदि के माध्यम से एच. एस. एच. एस. प्रतियोगिता में भाग लेना और इस प्रकार, इसे निर्धारित करने में स्टार इंडिया की कोई भूमिका नहीं थी।

इसके अलावा, स्टार इंडिया (पी) लिमिटेड। वी. उत्प्रेरक और ए. एन. आर. की सोसायटी। [मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

एयरटेल स्टार इंडिया को शुल्क के रूप में मासिक एकमुश्त भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, भले ही इस तरह की राशि स्टार इंडिया से प्राप्त की गई हो।

11.2 इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि एयरटेल द्वारा अर्जित लाभ की परवाह किए बिना स्टार इंडिया पुरस्कार राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। यह अनावश्यक है। यह कहने के लिए कि एयरटेल द्वारा भुगतान की गई प्रायोजन राशि आएगी

राजस्व के विभिन्न स्रोतों से, जिसमें एच. एस. एच. एस. प्रतियोगिता के लिए शुल्क दरों से अर्जित धन शामिल है। इसी तरह, स्टार इंडिया के पास राजस्व के कई स्रोत हो सकते हैं जिनसे पुरस्कार राशि का भुगतान किया जा सकता था। यह एक हिस्सा और पार्सल है

अपीलार्थियों और शिकायतकर्ता के सामान्य व्यावसायिक लेन-देन, बढ़ी हुई एस. एम. एस. शुल्क दरों और पुरस्कार राशि के बीच कोई सीधा संबंध स्थापित करने में विफल रहे हैं ताकि यह दिखाया जा सके कि बढ़ी हुई एस. एम. एस. की आड़ में पुरस्कार राशि धोखे से बरामद की गई थी। प्रतिभागियों से प्रभारित दरें।

मान लीजिए कि इस तरह की लागत एयरटेल द्वारा, कम से कम आंशिक रूप से, ग्राहकों द्वारा भेजे गए एस. एम. एस. की बढ़ी हुई लागत के माध्यम से वसूल की गई होगी। एच. एस. एच. एस. प्रतियोगिता में भाग लेना। 'प्रीमियम दर' पर निर्देश

टी. आर. ए. आई. द्वारा जारी की गई सेवाओं की तारीख 3.5.2005, जिसे अपीलकर्ताओं द्वारा संदर्भित किया गया था, में यह भी कहा गया है कि एस. एम. एस. के माध्यम से टेलीवोटिंग और प्रश्नोत्तरी आदि में भाग लेना एक मूल्य वर्धित सेवा है, और इनमें से अधिकांश मामलों में, इन सेवाओं के लिए शुल्क सामान्य शुल्क दर से अधिक हैं। अधिसूचना नीचे पुनः प्रस्तुत की गई हैः

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" एफ. नं. 305-8/2004-क्यूओएस

भारत की दूरसंचार नियामक प्राधिकरण

ए-2/14, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029

तारीखः 3 आरडी मई, 2005

को,

सभी सेलुलर मोबाइल सेवा प्रदाता

सभी एकीकृत अभिगम सेवा प्रदाता

विषयः प्रीमियम दर सेवाओं पर निर्देश।

1. प्राधिकरण ने देखा है कि पिछले कुछ महीनों में, एक संख्या

इन मूल्य वर्धित प्रीमियम दर सेवाओं के बारे में सूचित किया जाता है एस. एम. एस., समाचार पत्र या टी. वी. में विज्ञापनों के माध्यम से लेकिन इसमें

संचार, सेवा के लागत प्रभाव को सूचित नहीं किया जाता है। कभी-कभी संदेशों के बाद केवल "टी एंड सी" शब्द आते हैं।

आवेदन करें "।

2. वर्तमान बहु-प्रचालक बहु-सेवा परिदृश्य में, जैसे कि

प्रीमियम दरों की सेवाओं में काफी वृद्धि हुई है। सेवा.

प्रदाता इन सेवाओं के लिए नाड़ी की दर से अवगत है क्योंकि या तो

ऐसी प्रीमियम सेवाओं के प्रदाता के साथ। हालांकि, लागत ऐसी प्रीमियम सेवाओं के लिए आम तौर पर ग्राहक को पता होता है

सेवा का उपयोग होने और बिल प्राप्त होने के बाद ही। सेवा प्रदाताओं की यह प्रथा उनके हितों के खिलाफ है।

उपभोक्ता।

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उपभोक्ता के हित में, प्राधिकरण

धारा 13 के तहत उसे प्रदत्त अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए पढ़ें दूरसंचार नियामक की धारा 11 (1) (बी) (आई) और (वी) के साथ

भारतीय प्राधिकरण अधिनियम, 1997 और इसके खंड 9 और 11

सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाता और एकीकृत अभिगम सेवा संबंधित सभी संचार/विज्ञापनों में प्रकाशित करने के लिए प्रदाता

प्रीमियम दर वाली सेवाओं के लिए, सेवा के लिए दाल दर/शुल्क।

स्टार इंडिया (पी) लिमिटेड। वी. उत्प्रेरक और ए. एन. आर. की सोसायटी। [मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

यह प्राधिकरण की मंजूरी के साथ जारी किया जाता है।

(सुधीर गुप्ता)

सलाहकार

(क्यूओएस) "

13. हालाँकि, हमें इस मुद्दे पर अधिक समय तक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि

एच. एस. एच. एस. प्रतियोगिता के उद्देश्य के लिए एस. एम. एस. का प्रसारण एक मूल्य वर्धित सेवा होने के कारण, अपीलकर्ताओं ने टी. आर. ए. आई. के दिनांकित 3.5.2005 (ऊपर) के निर्देश का पालन करने का भी ध्यान रखा था, जिसमें ऐसी मूल्य वर्धित सेवा प्रदान करने के कारण सेलुलर सेवाओं की लागत में किसी भी वृद्धि के संचार/विज्ञापन को अनिवार्य किया गया था। इस प्रकार, भले ही एस. एम. एस. शुल्क को अनुभाग के उद्देश्य के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने की 'लागत' के रूप में लिया जाता है। 2 (1) (आर) 1986 के अधिनियम के (3) (ए) में यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ताओं ने इसके लिए गलत तरीके से आरोप का विज्ञापन किया था।

14. इसलिए, हम पाते हैं कि शिकायतकर्ता स्पष्ट रूप से विफल रहा है

यह साबित करने के लिए बोझ का निर्वहन करें कि पुरस्कार राशि का भुगतान एस. एम. एस. राजस्व से किया गया था, और इस पहलू पर इसके कथन शुद्ध अनुमान और अनुमान पर आधारित प्रतीत होते हैं। हमारा मानना है कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई आधार नहीं है कि एच. एस. एच. एस. प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार राशि का भुगतान सीधे एयरटेल द्वारा अर्जित एस. एम. एस. राजस्व से किया गया था, या एयरटेल और स्टार इंडिया ने एस. एम. एस. दरों को बढ़ाने के लिए मिलीभगत की थी ताकि पुरस्कार राशि का वित्तपोषण किया जा सके। और एस. एम. एस. राजस्व को साझा करना, और इस आधार पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रदान की गई "अनुचित व्यापार प्रथा" के आयोग के निष्कर्ष को दरकिनार किया जाना चाहिए।

15. द्वारा किए गए दंडात्मक नुकसान के पुरस्कार के संबंध में

राष्ट्रीय आयोग, ऐसा उतना नहीं कर सकता था जितना कि वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता ने शिकायत में दंडात्मक हर्जाने के लिए अनुरोध नहीं किया था या यह साबित नहीं किया था कि उपभोक्ताओं को कोई वास्तविक नुकसान हुआ था (जनरल मोटर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम देखें। अशोक रामनिक लाल तोलत, (2015) 1 एस. सी. सी. 429)। हालाँकि, हमें इसमें और अधिक गहराई से जाने की आवश्यकता नहीं है।

पहलू चूंकि हमने पाया है कि पहली जगह में अपीलार्थियों द्वारा कोई अनुचित व्यापार अभ्यास नहीं किया गया था।

16. एक सहायक नोट पर, यह हमारे सामने संक्षेप में तर्क दिया गया था

अपीलार्थियों के विद्वान वकील, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कि राष्ट्रीय आयोग के पास शिकायत पर अधिकार क्षेत्र नहीं था और इसे टी. डी. एस. ए. टी. को भेजा जाना चाहिए था। हालाँकि, इस तर्क को किसी भी पक्ष द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया। इसलिए, हम इसे प्रासंगिक [2020] 2 एस. सी. आर. नहीं पाते हैं।

वर्तमान मामले के उद्देश्य के लिए इस मुद्दे पर निर्णय लेना। हालांकि, उपभोक्ता मंचों के समक्ष दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के खिलाफ उपभोक्ता संगठनों द्वारा दायर शिकायतों की रखरखाव के संबंध में कानून के सवाल को खुला रखा जा सकता है।

17. इस प्रकार, हम पाते हैं कि आयोग का निष्कर्ष अनुचित है

विवादित निर्णय में धारा 2 (1) (आर) (3) (ए) के तहत व्यापार प्रथा कानून में खराब है। अपीलों की अनुमति दी जाती है और विवादित निर्णय निर्धारित किया जाता है।

उपरोक्त शर्तों को अलग रखें। अंकित ज्ञान

अ

पीलों की अनुमति दी गई।